कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 13 ~~61~~ / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 8-11 ~~अक्टूबर,~~ 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु 3.555 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. : FP/UK/ROAD/141441/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांकः– 8बी0/यू0सी0पी0/06/142/2021/एफ0सी0/305 दिनांकः– 27.05.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्रांक 11/12–1(2) दिनांक 03.07.2024, वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल की पत्र संख्या–362/12–1 दिनांक 15.09.2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 1971/12–1 दिनांक 04.09.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

शर्त संख्या	शर्त	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.110 हे0 सिविल सोयम भूमि हल्दयानी खसरा संख्या 2756 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए 1980 की guideline के पैरा 2(v) (4) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभाग द्वारा प्रेषित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभाग द्वारा प्रेषित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

	के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभाग द्वारा प्रेषित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, मान्य है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.555 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण**	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 35,73,522.00 (पैंतीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ बाईस मात्र) की धनराशि 3.555 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 ऑन लाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक 6)** (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का पत्र प्रस्तुत किया है। **(संलग्नक 7)**

	से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 171 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार 34 वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त है। प्रस्ताव के अनुसार वन पंचायत की भूमि में 27, सिविल भूमि में 19 एवं नाप भूमि में 25 वृक्ष हैं, जो कि कुल 71 वृक्ष हैं। ऑनलाईन पोर्टल में नाप भूमि के वृक्षों की प्रविष्टि नहीं की गयी है, जिस कारण ऑनलाईन 46 वृक्ष प्रदर्शित हो रहे हैं। **(संलग्नक –8)**
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 7 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक 6)**
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 8 के अनुसार गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9	एफआरए 2006 कर पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 9 के अनुपालन में एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 10 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक 9)**
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 14 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि संख्या 15 के अनुपालन में मजदूरों को राज्यीय वन विभा अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिसपर Forward/Backward bearing अंकित हों।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 19 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 21 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 22 के अनुपालन में पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में

	कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम-1980, यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1361 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोडा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1922 / 18 mg दिनांकः– 2 /08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु 3.555 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2972/FP/UK/ROAD/141441/2021 दिनांक 13.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/142/2021/एफ0सी0/305 दिनांक 27.05.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित हैः–

1– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2–शर्त संख्या–2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3 **प्रतिपूरक वनीकरणः–**

(क) खण्ड द्वारा 7.110 हैक्टयर, गैर वानिकी भूमि ग्राम हल्दयानी (बेतालघाट) में खसरा नं0 2756 मध्ये जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 82/12–ज्येड0ए0सी0/2020–21 दिनांक 28.01.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू0 29,00,823.00 (उनतीस लाख आठ सौ तेईस मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से दिनांक 24.07.2023 को जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि ग्राम हल्दयानी (बेतालघाट) में खसरा नं0 2756 मध्ये 7.110 हैक्टयेर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2928/12–ज्येड0ए0सी0/2022–23 दिनांक 10.01.2023 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। उक्त वन भूमि अधिसूचना सं0 869–F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1506/14–72–97–800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन घोषित है, का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। इसमें कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। **(संलग्नक–2 से 3)**

(ग) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

(घ) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। **(संलग्नक–5)**

4– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है, मान्य है।

5– शर्त संख्या–5 **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01,08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 35,73,522.00 (पैंतीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ बाईस मात्र) की धनराशि 3.555 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक–6)**

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। **(संलग्नक–7)**

6– शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। **(संलग्नक–8)**

7– शर्त संख्या–7 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

8– शर्त संख्या–8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करनें के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढा दी जायेगी।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता नहीं है। **(संलग्नक–9)**

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजनों के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी, मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सेह तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, मान्य है।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार 4–4 हार्ड प्रतियों में कुल **38** पृष्ठ ।

भवदीय

(इं0 संजय कुमार पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांकः– / दिनांकः–

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादून के पत्रांक 941/(1) X–4–18/1–05(4)/2014 दिनांक 26.09.2018 के तहत मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने उपरान्त प्रभावित वृक्षों के पातन संबंधित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

संलग्नक - 1

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ, रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6 किमुपानी थानदेव सैमधार के सैम मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 7.11 है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कौश्यॉ कुटौली की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2021 एवं उसके साथ नायब तहसीलदार, बेतालघाट, राजस्व उपनिरीक्षक, जोशीखोला, लो0नि0विभाग के जेई व वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के संलग्न संयुक्त नीरीक्षण आख्या दिनांक 04–01–2021 के कम में ग्राम हल्द्यानी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के नॉन0 ज्येड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(3)ड़ अन्तर्गत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 2756 मध्ये रकवा 07.11 है0 सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, बेतालघाट तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(कैलाश सिंह टोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 82/12–ज्येड0ए0सी0/2020–21 दिनांक 28 जनवरी,2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी, कौश्यॉ कुटौली।
4– तहसीलदार, कौश्यॉ कुटौली।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

संलग्नक-2

नकल खतौनी NZA

वर्ष-2021 फसली 1428

ग्राम कुकडपानी परगना धनियाकोट तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल।

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसकी खारिज तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित फलक्षतिकारी की दशा में परीक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो — फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
श्रेणी 9(3)ड 29	कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, अन्य बंजर					कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 8312-स्पेशल ए.सी./2020-21 दिनांक 23 जनवरी 2021 के अनुसार जनपद नैनीताल के अन्तर्गत [illegible] बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी. 6 [illegible] से [illegible] तक [illegible] मोटर मार्ग के [illegible] हेतु [illegible] की कुल 7.11 हे. सिविल सोयम श्रेणी की वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी कोश्या कुटौली की आख्या दिनांक 04 जनवरी 2021 एवं [illegible] नायब तहसीलदार बेतालघाट राजस्व उपनिरीक्षक [illegible] लो०नि०वि० [illegible] व वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत जिला अल्मोड़ा के संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04-03-2021 के क्रम में ग्राम कुकडपानी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के नाम खाता खतौनी श्रेणी 9(3)ड अन्तर्गत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 2756 मध्ये रकबा 7.11 हे० सिविल भूमि को [illegible] हेतु प्रस्तावित किया गया है, उक्त भूमि [illegible] हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रस्तावित [illegible] में हस्तान्तरित की जानी है, तहसीलदार बेतालघाट तहसील के राजस्व अभिलेखों में [illegible] करते हुए असल खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रयोगी [illegible] एवं मापक विभाग कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें,						
			16	.014								
			18	.016								
			20	.014								
			22	.016								
			24	.025								
			45	.029								
			47	.190								
			49	.030								
			53	.060								
			2735	.044								
			2738	.073								
			2747	.013								
			2756	87.524								
			2761	.040								
			2766	.073								
			2769	.010								
			2772	.011								
			2785	.010								
			2789	.010								
			2797	.011								
			2799	.024								
			2803	.014								
			4036	.008								
			4092	.003								
			4115	.009								
			4124	.009								
			4126	.005								
			4337	.008								
			4532	.041								
		योग	448	109.847								

Gokhe 18/3/2021 [illegible]

महोदय असल खतौनी से नकल कर राजकीय कार्य हेतु जारी की गयी

Gokhe 18.03.2021 Betalghat

(मुहर: राजस्व उपनिरीक्षक [illegible])

Gokhe 18/3/2021 Betalghat

(मुहर: [illegible] तहसील बेतालघाट)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital

संलग्नक -3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2000 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/141441/2021 जनपद नैनीताल में तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के 06 कि0मी0 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम हल्दयानी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में खाता खतौनी संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त सिविल सोयम भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 82/12–ज्येड0ए0सी0/2020–21 दिनांक 28.01.2021 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त वन भूमि अधिसूचना सं0 869–F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन घोषित है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Mahesh
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

संलग्नक – 4
बिन्दु संख्या-3(ग)

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम हल्दयानी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में खाता खतौनी संख्या 29 के खसरा नम्बर 2756 मध्ये **7.110** है0 **सिविल सोयम** भूमि के क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा, वन प्रभाग

(ह0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोडा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

संलग्नक – 5

बिन्दु संख्या–3(घ)

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण । **(FP/UK/ROAD/141441/2021)**

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ह0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोडा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,

संलग्नक :- 6

posal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/141441/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/141441/2021) Construction of motor road in Km. 6 of Talla Ramgarh Ratighat motor road of Kimupani Thandev to Sammandir of Samdhar in Distt. Nainital under State Sector.	ROAD1414412021534	6141441534	27 May 2022	CA: 2900823.12/-, Addl CA: 0/-; PCA: 0/-, CAT: 0/-; Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-; NPV: 3573522/-, Other Charges: 0/-; Other Charges1: 0/-; Other Charges2: 0/-; Other Charges3: 0/-; Total: 6474345.12/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 20 Jul 2022; Bank Name: Union Bank Of India; Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On: 16 Jun 2023; Transaction Date: 24 Jul 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/190720221718184322_FPUKROAD1414412021_User_Fund_Demanded_11349.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1414412021534)
FP/UK/ROAD/9471/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9471/2015) Satoli Kaphura motor road	ROAD94712015850	6194710850	17 Nov 2020	CA: 2015012/-, Addl CA: 0/-; PCA: 0/-, CAT: 0/-; Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-; NPV: 2524860/-, Other Charges: 0/-; Other Charges1: 0/-; Other Charges2: 0/-; Other Charges3: 0/-; Total: 4539872/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 22 Sep 2022; Bank Name: Union Bank Of India; Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On: 23 Sep 2022; Transaction Date: 16 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/210920221149109942_FPUKROAD94712015_User_Fund_Demanded_W6621.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD94712015850)
FP/UK/ROAD/8248/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8248/2014) Darmoli-Pitholi motor road.	ROAD82482014280	6182480280	17 Feb 2021	CA: 802498/-, Addl CA: 0/-; PCA: 0/-, CAT: 0/-; Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-; NPV: 781830/-, Other Charges: 0/-; Other Charges1: 0/-; Other Charges2: 0/-; Other Charges3: 0/-; Total: 1584328/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 08 Feb 2022; Bank Name: Union Bank Of India; Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On: 09 Feb 2022; Transaction Date: 11 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070220221526185527_FPUKROAD82482014_User_Fund_Demanded_84542.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD82482014280)
FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA: 0/-; PCA: 0/-, CAT: 0/-; Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-; NPV: 614952/-, Other Charges: 0/-; Other Charges1: 0/-; Other Charges2: 0/-; Other Charges3: 0/-; Total: 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 07 Mar 2021; Bank Name: Corporation Bank; Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On: 08 Mar 2021; Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dmondnotnawli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

संलग्नक—7

परियोजना का नामः—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु 3.555 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

संलग्नक–8

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु 3.555 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

संलग्नक–9

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैम मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु 3.555 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 141441/2021)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में लागू नही इसलिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।